

144 दण्डा 0

आदेश पत्रक

राजेंद्र मनोज राम गोप

5/16
तारीख
से

तक

कनाम

सन् 20

M-50/18

राधा रमन गोप की

आदेश का क्रम संख्या

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख--सहित

1

2

3

7/4/18

खैर थाना अप्राथमिकी संख्या 5/18 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नलिखित जमीन को लेकर उभय पक्षों में तनाव है और शांति भंग होने की आशंका है। थाना प्रभारी ने द० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु अनुशंसा की है।

114
7/4/18

जमीन का विवरण

ग्राम	खाता	प्लॉट	एकड़
खैरवेली	55	503	0.61 एकड़

अतः मैं अनु० दण्डा० खैती उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर विवादित जमीन पर द० प्र० सं० की धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष करे तकरारी जमीन पर जाने से 60 (साठ) दिनों तक रोक लगाता हूँ।

उभय पक्ष को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करें।

दिनांक 24/4/18

07.4.2018

अनुमंडल दण्डाधिकारी

खैती

महानगर के 20 वें असेसमेंट डिवीजन,
विभाग के 20 वें असेसमेंट डिवीजन,
समाप्त हो जाने के लिए कार्य की कार्यवाही
कर कर किया गया।

09/06/2018